Shri Mohammad Elias (Howrah): We have tabled several adjournment motions . . .

Mr. Speaker: It would not be fair for hon. Members to go on like this.

Shri Mohammad Elias: We have been informed that your consent has been withheld. No reason has been given as to why it has been withheld.

Mr. Speaker: That "why" is not told here; that is my difficulty.

Shri Mohammad Elias: On silly grounds these arrests have been made. It has been stated that there was no reason at all for this arrest.

Mr. Speaker: The hon. Member will realise that I cannot discuss the reasons why they have been arrested, whether they were arrested on flimsy grounds or silly grounds and all that.

Shri S. M. Banerjee: Let the Centre deny it.

Shri Umanath: Our information is that it was done at the instance of the Central Government. Let them say that it was not at their instance that these arrests were made.

Shri H. N. Mukerjee: Sir, since this matter has been raised . . .

Mr. Speaker: Shall we proceed in this manner?

Shri H. N. Mukerjee: I want to know whether you are deferring this matter.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh: Sir, about my point of order . . .

Mr. Speaker: That matter is over.

Shri H. N. Mukerjee: Sir, since this matter has been mentioned—I did not mention it earlier—I just want an assurance that you would be pleased to consider . . .

Mr. Speaker: If it has been mentioned without my consent and illegally, should he then support it?

Shri H. N. Mukerjee: It is not a question of support or otherwise. I want to know whether you have made up your mind already or you are likely to consider it tomorrow?

Mr. Speaker: I have made up my mind already and I have given my decision.

Shri Hem Barua (Gauhati): I had tabled an adjournment motion about the invitation accorded to the Chinese Ambassador to attend the banquet given by the Indian Embassy in Cairo in honour of the Prime Minister.

Mr. Speaker: Shall I have to take every adjournment motion now and discuss it with the hon. Members? There are 40 or 50 notices that have been given. That would be almost impossible.

Shri Hem Barua: I only want to submit that I have not got any intimation from you so far about this adjournment motion.

Mr. Speaker: He might wait. I will give him the information. If I have not yet taken a decision that would also be communicated. If I have taken a decision he would be informed about it.

Shri Hem Barua: I sent the notice on 9th October.

Mr. Speaker: Then I must have taken a decision on that.

(ii) BYE-ELECTIONS TO LOK SABHA

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव एक बुनियादी चीज के मामले में है । इस लोक सभा का काम तभी कोई मतलब रखता है जब लेन-देन और काम में कोई सम्बन्ध हो । यह मैं मानता हूं कि जो आदमी सोचता है वह पूरी तरह कह नहीं पाता या जो कहता है

वह पूरी तरह कर नहीं पाता लेकिन अगर कहने और करने में कोई सम्बन्ध ही न रहे तो लोक सभा का सारा अस्तित्व ही खत्म हो जाता है । इस सम्बन्ध में मैंने एक आपके सामने स्थगन प्रस्ताव रखा था कि कोई कार्यवाही लोक सभा की मतलब नहीं रखती । मैं आपके उस हुक्म को मान लेता कि कल तुम उस बात को उठाना लेकिन लोक सभा के ही काम से मुझको चले जाना पड़ेगा । इस सिलसिले में मैं आपसे अर्ज कर दूं कि कई एक उपनिर्वाचनों की तारीख ऐसी रक्खी है कि हम लोग यहां का काम नहीं कर पायेंगे । तो सवाल यह उठता है कि किसी तरीके से उस विषय को आप यहां पर लाने की आज इजाजत दे दें . . .

अध्यक्ष महोदय : नहीं, डाक्टर साहब, यह मेरे लिये मुश्किल होगा । मैं आज किसी तरह इजाजत नहीं दे सकता । जहां तक सवाल उन उप-निर्वाचनों की तारीखों का है वह चीज मेरे अधिकार में नहीं है । तारीखें रखना एलेक्शन कमिश्नर के अखत्यार में है और मैं उसमें कोई दखल नहीं दे सकता ।

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अर्ज करूं कि वह स्थगन प्रस्ताव आप यहां पर बतलायें । वह उस ढंग का है कि अगर उस पर इस सदन में ध्यान नहीं दिया तो जनतन्त्र के कोई मतलब ही नहीं रह जायेंगे । फिर तो सरकार कोई भी ऐलान करती रहेगी और उस पर कार्यवाही न करेगी ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अभी तो फैसला किया कि यहां इस समय कोई नहीं ला सकते उसके रहते मैं क्या करूं ?

डा० राम मनोहर लोहिया : मेरी मुसीबत पर भी आप जरा ध्यान दीजिये और वह मेरी कोई जाती मुसीबत नहीं है . . .

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर ।

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : आप क्या कोई उम्मीदवार हैं ?

डा० राम मनोहर लोहिया : क्या कहा, मैं उम्मीदवार हूं ? हजरत, उम्मीदवारों पर आप जरा अपनी निगाहें सन् 67 में रखियेगा ।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर ।

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अर्ज कर दूं कि आखिर यह लोक सभा किस लिये बैठा करती है

अध्यक्ष महोदय : अब मैं यह बहस इस वक्त नहीं कर सकता ।

डा० राम मनोहर लोहिया : स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं उधर जा रहा हूं, उधर कोई मैं अपने निजी काम पर नहीं जा रहा हूं, आपके काम में जा रहा हूं । आखिर को तीन, तीन उपनिर्वाचन रखे गये हैं । मेरी यह अर्ज सुन लीजिये कि इस सरकार ने ऐलान किया था अविश्वास के प्रस्ताव के दौर में और एक असत्य बोल कर इस लोक सभा का विश्वास ले लिया था । अब अगर उस असत्य को यहां पर सब से पहले नहीं खोला जाता है तो और सारी कार्यवाही बेमतलब हो जाती है । आप अध्यक्ष महोदय, यह तो मानेंगे कि पिछले हजार वर्ष से हमारे देश में ऐलान की दुनिया और कर्म की दुनिया में कोई सम्बन्ध नहीं रहा है । ऐलान ही ऐलान करते चले जाते हैं और कर्म कुछ नहीं होता है ।

अध्यक्ष महोदय : डाक्टर साहब, मुझे समझ में नहीं आता । यह तो आप एक बड़ी फिलासिफिकल प्रापोजीशन मेरे सामने रख रहे हैं । इसे किस तरीके से ले सकता हूं ? मैं नहीं ले सकता । अब मुझे आप इजाज दीजिये कि मैं आगे चलूं ।

[अध्यक्ष महोदय]

I have been very much indulgent today because it is the first day and there are many questions that have arisen during the inter-session period. But I would now request hon. Members to co-operate with me so that we might just get into business.

डा० राम मनोहर लोहिया : यह ठीक है लेकिन मैं आपसे अर्ज करता हूं कि चूंकि मैं आपके ही काम से जा रहा हूं मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ कोई रियायत दिखलाई जाय . .

अध्यक्ष महोदय : न मैंने कहा कि जाइये और न ही मैंने यह कहा है कि आप न जाइये ।

डा० राम मनोहर लोहिया : आपके ही काम से जा रहा हूं मेरा कोई निज का काम नहीं है - ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा कोई काम नहीं है ।

डा० राम मनोहर लोहिया: आप चाहे न मान लेकिन आखिर मुझे भी तो फैसला करने का हक है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं तो चाहूंगा कि अगर मेरा काम है तो कल आप यहीं रहिये ।

डा० राम मनोहर लोहिया : क्या आप चाहते हैं कि कांग्रेस वाले जीत जायें ?

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, मैं तो चाहता हूं कि जब पार्लियामेंट चलती हो तो डा० लोहिया मुझे काम करने में मदद दें ।

डा० राम मनोहर लोहिया : आप क्यों नहीं इन्हें कहते कि तीन, तीन उपचुनावों को छुट्टियों में रक्खें ? छुट्टियों के दौरान इन उपचुनावों को क्यों नहीं रखा जाता है, लोक सभा के सेशन के दौरान में इन्हें क्यों रक्खा गया है ?

श्री मोहम्मद इलियास : अब यह इक्के दुक्के बाईएलेक्शंस तो होते ही रहेंगे तो क्या इनके कारण पार्लियामेंट को बन्द रक्खा जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : अच्छा अब इसे छोड़ कर मुझे आगे चलने दिया जाय ।

डा० राम मनोहर लोहिया : खाली मैं आपसे कहता हूं कि इस सरकार ने जीपों के सम्बन्ध में जो एलान किया कि वह सामुदायिक विकास से जीपें हटा लेगी यह वह बिलकुल झूठ बोली है और एक पाखंड और पागलपने का उन्होंने काम किया है । यह लोग सामने बैठ कर उनके ऊपर कोई विचार नहीं कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अब हो लिया, मैं आगे चलूं ?

डा० राम मनोहर लोहिया : जैसे आपकी इच्छा, चलिये आगे । लेकिन इस तरह से यह कोई लोक सभा तो रह नहीं जाती है ।

श्री त्यागी : मुझे यह अर्ज करना है कि इस हाउस में हमेशा से यह रिवाज चला आया है कि झूठ बोला, ऐसी बात नहीं कही जाती है और यह अनपार्लियामेंटरी समझा जाता है । लोहिया साहब ने ऐसा कह दिया है इसलिये मेरा ख्याल है कि उसको एक्सपंज कर दिया जाय ।

डा० राम मनोहर लोहिया : महावीर त्यागी साहब ने जो फरमाया

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर । डाक्टर साहब, इस तरह से आप चलते नहीं जायेंगे । आखिर कोई हद आयेगी जब आपको खत्म करना होगा ।

डा० राम मनोहर लोहिया : त्यागी जी ने बीच में यह एतराज उठाया तो मुझे उस क

उन्हें जवाब तो देने दिया जाय कि वह उनका एतराज बिल्कुल गलत है .....

अध्यक्ष महोदय : एतराज गलत क्यों है ? वह एक जायज एतराज उठा रहे हैं यह जो आपने कहा कि झूठ बोला तो य कहना दुरुस्त नहीं है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : सरकार के लिये मैंने यह कहा है ।

अध्यक्ष महोदय : सरकार के लिए भी कहा हो अथवा किसी मेम्बर को कहा है लेकिन किसी के लिये भी यह कहना कि उसने झूठ कहा दुरुस्त नहीं है । अब मेम्बर्स अगर एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे तो यह एक अच्छी चीज नहीं होगी ।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं फिर कहता हूं कि मैंने किसी व्यक्ति के लिए न कह कर सरकार के लिए कहा था बाकी जहां तक मेम्बरों का एक दूसरे की इज्जत करने का सवाल है बेहतर होगा कि अगर उन्हें यह सिखाया जाय ।

अध्यक्ष महोदय : डाक्टर साहब, आप चले ही जा रहे हैं । उनका एतराज जायज और ठीक है ।

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट से अधिक नहीं लूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर । आप बैठ जाइये ।

श्री रामेश्वरानन्द : मुझे एक मिनट देने की कृपा कीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, आप अब बैठ जाइये ।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं बैठ जाता हूं लेकिन मेरा इतना निवेदन तो सुन ही लीजिये कि जैसा अभी आपने कहा झूठ बोलना पार्लियामेंटरी शब्द नहीं है तो मुझे यह बतलाया जाय कि अगर पार्लियामेंट में किसी को यह कहना हो कि झूठ बोला गया तो वह इसके लिये क्या शब्द इस्तेमाल करे ? झूठ बोला, इसके लिये उसे क्या शब्द प्रयोग करने चाहिएं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या हाउस यह चाहेगा कि इस तरह से काम चलाया जाये या क्या हाउस यह समझता है कि इस तरह से काम चल सकता है ? मैं इस बारे में दोनों तरफ के मेम्बर साहबान की इमदाद चाहता हूं । अगर हाउस का काम चलाना है, तो वह इस तरह नहीं चल सकेगा कि जब किसी मेम्बर की मर्जी हो, वह खड़ा हो जाये और मेरे चीखने पुकारने के बावजूद यह कहता चला जाये कि मैं एक मिनट, दो मिनट या चार मिनट बोलूंगा । मैं तो इस तरह हाउस का काम नहीं चला सकता हूं । अगर हाउस इसी तरह काम चलाना चाहता है, तो मुझे अलाहिदा होने की इजाजत दे दी जाये और दूसरा स्पीकर चुन लिया जाये । लेकिन इस तरह हाउस का काम नहीं चल सकता है और न मैं चला सकता हूं । यह इस हाउस की मर्जी है । मेम्बर साहबान के तआवुन और सहयोग के बगैर यह काम नहीं चल सकेगा । अगर मैं मना करता रहूं और मेम्बर साहबान बोलते चले जायें, तो मैं अकेला हाउस का काम कैसे चला सकता हूं ? यह तो सेल्फ रेस्ट्रेंट की बात है । अगर मेम्बर साहबान सेल्फ-रेस्ट्रेंट रखना चाहें, तो रख लें, वर्ना उनकी मर्जी है । मैं इस तरह से काम नहीं चला सकता हूं ।

Shri Nath Pai: Sir, I fully endorse what you said, that we will have to do our best to maintain decorum; but may I know *vis-a-vis* that objection for future guidance whether it will be unparliamentary to say that Government stands guilty of having told a lie to the House? I can recall innumerable occasions when a statement by any hon. Member that Government stands guilty of telling a lie

[Shri Nath Pai]

to the House has not at all been considered unparliamentary; but if you so direct today, we shall take notice of it in future.

Mr. Speaker: I have already said so many times that certain expressions might not be considered as unparliamentary and I might not expunge them also; but they are not proper because the same thing can be said in a more dignified manner. If you say, 'आप ने झकझड़ा' that would offend him; but if you say, "यह सत्य नहीं है, दुरुस्त नहीं है", you might convey the same thing. We should have the courtesy to say like that. There is that parliamentary language in which the same thing can be said. Even severer and harder things can be said. The other day I was being told about the refinement of language; today I am just put a question the other way.

12.32 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

JOINT COMMUNIQUE ON TALKS BETWEEN PRIME MINISTERS OF INDIA AND CEYLON AND AGREEMENT REACHED BETWEEN THE PRIME MINISTERS; AND PAMPHLET ENTITLED "CAIRO CONFERENCE OF NON-ALIGNED NATIONS"

The Minister of Rehabilitation (Shri Tyagi): Sir, on behalf of Sardar Swaran Singh, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers :—

(1) (i) Joint Communique issued at the end of the talks between the Prime Ministers of India and Ceylon in New Delhi from 24th to 30th October, 1964, on the problem of persons of Indian origin in Ceylon.

(ii) Agreement reached between the Prime Ministers of India and Ceylon on that occasion. [*Placed in Library, see* LT-3336/64.]

(2) Pamphlet entitled "The Cairo Conference of Non-Aligned Nations (October 5—10, 1964) —Prime Minister Lal Bahadur Shastri's speeches and the declaration as adopted by the Conference". [*Placed in Library, see* No. LT-3337/64.]

Shrimati Renu Chakravartty (Barrackpore): May I ask that these should be given to all hon. Members?

Mr. Speaker: I shall see.

NAVY (PENSION) REGULATIONS, 1964

The Minister of Defence Production in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas): Sir, on behalf of Shri Y. B. Chavan, I beg to re-lay on the Table a copy of the Navy (Pension) Regulations, 1964, published in Notification No S.R.O. 74, dated the 7th March, 1964, under section 185 of the Navy Act, 1957. [*Placed in Library, see* No. LT-3201/64.]

ESSENTIAL COMMODITIES (AMENDMENT) ORDINANCE, 1964 AND INDIAN TELEGRAPH (SIXTH AMENDMENT) RULES, 1964

The Minister of Communications and Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha): Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers :—

(i) The Essential Commodities (Amendment) Ordinance, 1964 (No. 3 of 1964) promulgated by the President since the termination of the Ninth Session of Third Lok Sabha, under the provisions of article 123(2)(a) of the Constitution. [*Placed in Library, see* No. LT-3338/64.]

(ii) The Indian Telegraph (Sixth Amendment) Rules, 1964,